रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, जून 30—जुलाई 6, 2019, शनिवार/आषाढ़ 9—आषाढ़ 15, 1941
No. 20] NEW DELHI, JUNE 30— JULY 6, 2019 , SATURDAY/ ASADHA 9—ASADHA 15, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.नि.आ. 57.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय में निजी सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' (निजी सचिव) पद भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 6 (Rs. 35400 to Rs. 112400)";

(b) in column (11),-

(i) for the words, letters and figures "the scale of pay of Rs. 5200-20,200 in pay band -1 of with grade pay of Rs. 2800", the words, brackets, letters and figures "Level 5 (Rs. 29200 to Rs. 93200) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(ii) "Note 2" shall be omitted.

[F. No. A/86320/RR/LIA/DGQA/Adm-10/459/D(QA)/2019]

JAYASREE C.R., Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.नि.आ. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (आशुलिपिक) पद, भर्ती नियम, 2011 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातें हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय (आशुलिपिक) पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (आशुलिपिक) पद भर्ती नियम, 2011 में ,-

(क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

(ख) अनुसूची के स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500 – 81,100 रु.)"

[फा.सं. ए/86320/आर आर/आशुलिपिक/डी जी क्यू ए/प्रशासन-10/243/डी (क्यू ए)/2019]

जयश्री सी. आर., अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4. तारीख 26 नवम्बर, 2011 में अधिसूचना का.नि.आ.71 तारीख 18 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए।

New Delhi, the 2nd July, 2019

S.R.O. 61.– In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Stenographer) post, Recruitment Rules, 2011, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Stenographer) post, Recruitment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Stenographer) post, Recruitment Rules, 2011,-

(a) for rule 2, the following rules shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in pay matrix.–The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(b) in the Schedule, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix
(4)
Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500 to Rs. 81100)";

[F. No. A/86320/RR/Stenographer/DGQA/Adm-10/243/D(QA)/2019]

JAYASREE CR, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number SRO 71 dated the 18 Nov 2011 in the Gazette of India, Part-II, Section-IV, dated 26 Nov, 2012.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2019

का.नि.आ. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' पदों (मुख्य फोटोग्राफर और वरिष्ठ फोटोग्राफर) भर्ती नियम, 2012 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' पद (मुख्य फोटोग्राफर और वरिष्ठ फोटोग्राफर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' पदों (मुख्य फोटोग्राफर और वरिष्ठ फोटोग्राफर) भर्ती नियम, 2012 में, -

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगें, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। "

(2) इस अनुसूची में, -

(क) मुख्य फोटोग्राफर के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 1 के सामने, -

(i) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्षक और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-